

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद।

संख्या ११६३/आ०ले०-जि०अ०-२०१४

दिनांक ०२ अक्टूबर

२०१४

कार्यालय ज्ञाप

आज दिनांक ०२-१०-२०१४ को अनौपचारिक रूप से घटियाघाट गंगा तट का नाम जन समुदाय की मांग के अनुसार "पांचाल घाट" किया गया है। कृपया समस्त अभिलेखों एवं स्थलों जहां पर घटियाघाट का उल्लेख किया गया है, के स्थान पर "पांचाल घाट" का उपयोग तथा प्रदर्शित किया जाय।

(एन०के०एस०चौहान)  
जिलाधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 1- अध्यक्ष जिला पंचायत फर्रुखाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में पंचायत की बैठक में औपचारिक प्रस्ताव शीघ्र पारित कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अभिलेखों में उल्लिखित कराने हेतु।
- 3- समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- 4- अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० को इस निर्देश के साथ कि फर्रुखाबाद व बरेली की ओर दोनों तरफ गंगा नदी सेतु के प्रवेश बिन्दु पर एक-एक "पांचाल घाट" का साइनेज बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
- 5- जिला सूचना अधिकारी फर्रुखाबाद को इस निर्देश के साथ कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से निशुल्क प्रचार-प्रसार करायें।

(एन०के०एस०चौहान)  
जिलाधिकारी  
फर्रुखाबाद।